10. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

11. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि अनुदान सं0-27 के लेखा शीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 04-बाँस प्रजातियों का रोपण की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाली जायेगी.

12. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-504/सत्ताईस (2)/2005 दि. 16 अगस्त, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

/

(रणबीर सिंह)

सचिव

संख्या-2316(1)/दस-2-2005,तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन.
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल बाँस एवं रेशा विकास परिषद्, देहरादून.
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
9. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
10. बजट निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
11. गार्ड फाइल.

(श्याम सिंह)

अनु सचिव

संख्या- 2316/दस-2-2005-12(46)/2005

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह
सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2005

विषयः- अनुदान सं0-27 में आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत बाँस एवं रेशा विकास कार्यों हेतु वर्ष 2005-06 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- नि. 50/35-1-बी, दिनांक 18 जुलाई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के बाँस एवं रेशा विकास कार्यों हेतु वर्ष 2005-06 हेतु रू0 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत धनराशि का सदुपयोग शासन के निर्धारित मानकों, शर्तों, प्रतिबन्धों तथा प्रश्नगत प्रयोजन हेतु दिनांक 16 जून, 2004 में सम्पन्न हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे.
2. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत रू0 पाँच करोड़ की धनराशि के उपयोग का, वित्त नियन्त्रक, वन विभाग के स्तर से आन्तरिक लेखा परीक्षण कर एक पक्ष के अन्दर रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन वन विभाग की टीम द्वारा करा कर प्रगति रिपोर्ट एक पक्ष में उपलब्ध करायें.
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत नियमानुसार स्वीकृत/गठित माइक्रोप्लान के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय. साथ ही विभागीय/सोसायटी के लेखे का अडिटेड एकाउण्ट भी रखा जाय तथा महालेखाकार या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से आडिट भी सुनिश्चित किया जाय.
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू योजना पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय.
5. योजना पर आने वाला व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
7. क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
8. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2